UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : History
Research Link - 161, Vol - XVI (6), August - 2017, Page No. 60-62
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (सन् 1857 की महान क्रांति) में राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोधपत्र, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (सन् 1857की महान क्रांति) में राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंग्रेज इतिहासकार चर्बी वाले कारतूसों को ही सन् 1857 ई. के विद्रोह का मुख्य कारण मानते थे, परंतु इसी एक कारण के आधार पर इतना बड़ा विद्रोह होने की संभावना बहुत कम होती है। इस क्रांति के कारणों की नींव उतनी ही पुरानी और गहरी थी, जितना पुराना हिन्दुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य था। इन कारणों की जांच के लिए पिछले 120 वर्षों के इतिहास का विश्लेषण करना जरुरी है। भारतीय जनता अंग्रेजों की शासन सम्बंधी, लगान सम्बंधी, धार्मिक और सामाजिक नीति से असंतुष्ट थी। पं. जवाहरलाल नेहरु ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' में लिखा है कि, ''लगातार कई शताब्दियों और वर्षों तक भारतीय लोगों को एक कौम और इंसान के रुप में बेइज्जत और जलील कर दिया गया और उसके साथ घृणा भरा सलूक किया जाता था। भारत में उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए नफरत के जहरीले बीज बो दिए और अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। जाति भेद के आधार पर अंग्रेजों का व्यक्तिगत व्यवहार भी भारतीयों के प्रति बहुत असंतोषजनक होता जा रहा था।'' इसी असंतोष के कारण सन् 1816 ई. में बरेली में सन् 1831-33 ई. में कोल जाति ने, सन् 1848 ई. में कांगड़ा में, सन् 1855-56 ई. में संथाल जाति ने तथा अन्य व्यक्तियों ने भी विभिन्न स्थानों पर सन् 1857 ई. से पहले भी अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे। ये विद्रोह भारतीयों में व्याप्त तीव्र असंतोष का प्रमाण थे। एस.आर.मेहरोत्रा के अनुसार, ''1857 ई. का विद्रोह कट्टरवाद के अचानक फटने का परिणाम नहीं था, बल्कि यह परिस्थितियों की इतनी लम्बी कड़ी का परिणाम था, जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया।''(1)

डॉ.प्रकाश चन्द्र बड़वाया

प्रस्तावना :

29 मार्च 1857 ई. को अंग्रेजों के विरूद्ध बैरकपुर, कलकत्ता में एक ऐसा विद्रोह शुरू हुआ जो शीघ्र ही समस्त भारत में फैल गया। डा. आर. सी. मजूमदार के शब्दों में, ''सारांश यह है कि अंग्रेजों के भारत में शासन की प्रथम शताब्दी में उस महान दुःखान्त नाटक का मंच तैयार हुआ तथा उसके कुछ भागों के अभ्यास किए गए, जिसमें अंग्रेजी शासन की शतवार्षिका रक्त एवं आंसुओं में मनाई गई।''(2)

सन् 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर सन् 1857 ई के महान विद्रोह तक अंग्रेज की शक्ति बढती गयी, उनकी लालसा भी बढ़ती गयी। अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विसतार करना अंग्रेजों का लक्ष्य बन गया था। इस प्रकार सन् 1857 ई. से पहले अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप आग पकड़ने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में इक्ट्ठी हो चुकी थी, चर्बी वाले कारतूसों ने तो केवल दियासलाई का काम किया।(3)

अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति (Imperialistic Policy of the Britishers) सन् 1857, ई के व्रिदोह का मुख्य कारण बनी। इस नीति से अंग्रेजों ने झांसी, नागपुर, सतारा, सम्भलपुर, उदयपुर जैतपुर की रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एलिनबरा (1842–44) के समय सिंध के अमीरों, जो निर्दोष एवं अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्त थे, के विरूद्ध अभियान भेजा गया और उन्हे पराजित करके सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। सिन्ध के विजेता चार्ल्स नेपियर ने स्वयं लिखा, ''सिंध को छीनने का हमारा कोई अधिकार नही, परन्तु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह दुष्टता का एक लाभदायक, उपयोगी एवं मानवीय बदमाशी का उपयोगी काम होगा।''(4)

इसलिए प्रख्यात इतिहासकार डा. आर. सी. मजूमदार के अनुसार, ''ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने भारत में निराशा तथा विद्रोह की ज्वाला छोड़ी।''(5) साथ ही लार्ड डलहौजी ने सबसे अन्यायपूर्ण कार्यवाही सन् 1856 ई. में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुप्रबंध को दोष लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना था। इस पर प्रसिद्ध इतिहासकार सुरेन्द्रनाथ सेन का यह कहना पूर्ण ठीक है, ''अंग्रेजों के न्याय के बारे में यदि कुछ विश्वास लोगों में रह गया था, तो वह 1856 ई. में अवध के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया।''(6)

इसके अतिरिक्त अनेक आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे।

एसोसिएट प्राध्यापक (इतिहास विभाग), पी.जी.गवर्मेन्ट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर 11, चण्डीगढ़

भारत में अंग्रेजों के शासन का मूल आधार भारत का आर्थिक शोषण था। आर. जी. मजूमदार के अनुसार, अंग्रेजों की नवीन आर्थिक नीति का सभी वर्गो के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा था, अनेक लोग गरीब बनकर रह गए।[7]

भारत के प्रसिद्ध उद्योग सरकार की बेरूखी और व्यापारिक स्पार्धा के कारण बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होने भारत को एक मंडी के रूप में (India became a Market) के रूप में बनाना शुरू किया। भारत कच्चे माल का निर्यात और बनी हुई वस्तुओं को आयात की भूमि बन कर रह गया। भारतीय धन पानी की तरह इंग्लैण्ड की ओर बहने लगा। कम्पनी की इस नीति ने भारतीय उद्योगो और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। भारत एक ऐसी गाय के समान था जो इंग्लैण्ड को दुध पिलाती थी और उसके बच्चे भूखे मरते थे।[8]

साथ ही लोगों में विद्रोह की भावना पैदा करने के लिए बहुत हद तक सामाजिक व धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे, जैसे सामाजिक सुधार के नाम पर कन्यावध, सती प्रथा तथा नर बलि पर कानूनी पाबन्दी लगा देना। विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति देना। जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरूद्ध भी कानून बनाया। चाहे यह सुधार लोगो की भलाई के लिए किए गए, परन्तु कट्टर हिन्दुओं ने इसको अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा। साथ ही ईसाई धर्म को फैलाने के लिए निम्न स्तर के हथकण्डे ईसाई पादरियों द्वारा अपना भी भारतीय जनता के लिए असहनीय थे। उन्होंने खुले आम भारतीयों के इष्ट देवी देवताओं और पीर पैगम्बरों का निरादर करना शुरू कर दिया। सन् 1850 ई. में लार्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो उसे उसकी पैतृक सम्पति से वंचित नही किया जा सकता। इससे लोग ईसाई बनने लगे तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को अपना धर्म खतरे में प्रतीत होने लगा। सर सय्यैद अहमद खान के अनुसार, ''इसमें कोई सन्देह नही कि सभी लोग बुद्धिमान अथवा अनपढ़ प्रतिष्ठित अथवा साधारण, विश्वास करते थे कि सरकार वस्तुतः लोगों के धर्म एवं रीतियों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक थी और उन सबको, चाहे वे हिन्दू थे या मुसलमान, ईसाई बनाना चाहती थी।[9]

अंग्रेजों द्वारा भारतीयो के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण उनमें व्याप्त असन्तोष फैला। वे भारतीयों के लिए ''काले'', असभ्य '' बर्बर आदि अपमान जनक शब्दों का उपयोग करते थे। यूरोपियन व्यवसायियों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीय प्रवेश नही पा सकते थे। उन पर लिखा हुआ होता था,'' कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है।''[10]

अशोक मेहता के कथनानुसार, ''यह आधुनिकता तथा परम्परा के बीच साधारण संघर्ष नहीं था, अपितु चकरा देने वाला संघर्ष था, जिससे स्वाभिमानी लोगों ने अनुभव किया कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है एवं नीचा दिखाया जा रहा है।''[11]

साथ ही भारतीय सैनिकों के कम वेतन, तरक्की के कम अवसर, अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले उन्हे घटिया समझना, उन्हें समुद्र पार भेजना, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाना तथा चर्बी वाले कारतूस आदि ऐसी बातें थी, जिन्होंने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उतेजित किया। एक बार प्रधान सेनापति ''सर चार्लस नेपियर ने चेतावनी देते हुए कहा था, ''हम भारतीय सैनिकों की स्वामी–भक्ति को स्थिर रखने के लिए कोई प्रयाप्त नहीं कर रहे, इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि वह अवश्य विद्रोह करेंगे, यद्यपि उस समय तक मेरी मृत्यु हो चुकी होगी।[12]

साथ ही उस समय जब विद्रोह का बारूद्वपूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। चर्बी वाले कारतूसों के मामले ने इस पर चिंगारी का काम किया। सन् 1856 में सरकार ने सैनिकों को ''एनफील्ड राईफल्ज़ (Enfield Rifles) देने का फैसला किया। इन राईफलों के कारतूस में गाय तथा सुअर की चरबी प्रयोग की जाती थी और राईफल में प्रयोग में करने से पहले कारतूस के उपरी भाग को मुँह से काटना पड़ता था। गाय हिन्दुओं के लिए पवित्र है और सूअर का प्रयोग मुसलमानों के लिए वर्जित। बैरकपुर के कारतूसों के कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी। यह समाचार असाधरण शीघ्रता से सैनिकों में फैल गया कि कारतूसों में सूअर तथा गाय की चर्बी चखी प्रयोग की गई है।[13] भारतीय सैनिकों का यह विश्वास पूर्ण रूप से सत्य था।[14] इस पर हिन्दू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे। उन्होंने बड़े साहस एवं उत्साह से उनके विरूद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रांरभ में यह एक सैनिक विद्रोह ही था, परन्तु धीरे–धीरे यह देशी शासकों, कट्टर एवं रूढ़िवादी लोगों तथा सैनिको के महान विद्रोह का रूप धारण कर गया जिसका नेतृत्व मुख्यतः सामन्तों ने किया। इस विद्रोह से भारतीयों ने प्रेरणा प्राप्त की, राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ, फिर कही जाकर स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम हम सन् 1947 में देखते है। यह अंग्रेजों के विरूद्ध सबसे बड़े पैमाने पर भयानक विद्रोह (the biggest upsurge against the British) था, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारी खतरा पैदा कर दिया था। इस विद्रोह ने भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रेरणा दी जो लगभग आधी शताब्दी के बाद बड़े जोश से प्रांरभ हुआ। अंग्रेजी दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ते हुए जन्म ले रहे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए, यह एक चमकता हुआ सितारा था। सन् 1857 का महान विद्रोह ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक (epoch-making) घटना मानी जाती है। अशोक मेहता के कथनानुसार, ''इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह को परिवर्तित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का आगाम किया।''

संदर्भ :

(1) *The outbreak of 1857 was not the effect of any sudden burst of fanaticism but the result of a long train of circumstances all of which tended to promote discontent S.R. Mehrotra : The Emergence of the Indian National Congress, p. 91.*

(2) *In short, the first century of British rule in India set the stage for and witnessed many rehearsals, though in parts of the great tragic drama which was to celebrate the centenary of its foundation in blood and tears" R.C. Majumdar : The sepoy mutiny and revolt of 1857, p. 242.*

(3) *The greased cartridge was merely the match that exploded the mine which had, owing to a variety of causes, been for a long time preparing medley.*

(4) *We have no right to seize sind yet we shall do so and a*

very advantageous useful humane piece of rascality it will be Charles Napier.

(5) *The expansion of British dominions left behind a blazing trail of discontent and disaffection throughout India Dr. R.C. Majumdar : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutt-1963), p. 22.*

(6) *If there was still a vestige of lingering faith in British fairness the annexation of Oudh in 1856 completely removed it." Surendra Nath Sen, : Eighteen fifty Seven (New Delhi: 1958), P. 17.*

(7) *"In short all classes of people were hard hit by new economic policy introduced by the British and a large number was reduced to object poverty", R.C. Majumdar : The Sepoy Multiny and the Revolt of 1867 (Calcutta-1963), p. 27.*

(8) *"India became a milch cow to Feed England while her own sons were gradually pushed to the starvation wage" Dr. Ishwari Prasad and S.K. Subedar A History of Modern India Allahabad, 1984, p. 20.*

(9) *"There is no doubt that all persons, whether intelligent or ignorant, respectable or otherwise belleved that the government was really and sincerely desirons of interfering with the religion and customs of the people converting then all whether Hindus or Mohanedans to Christianity," Sir Syed Ahmad Khan, queted by R.C. Majumdar, Op. Cit. pp. 422-23.*

(10) *"Dogs and Indians are not allowed."*

(11) *"It was no simple contest between Modernity and Tradition... but a confused struggle in which a proud people. Felt that they were being humiliated and depressed." Ashoka Mehta : The Great Rebellion, p. 21.*

(12) *He is devoted to us as yet, but we take no Pains to preserve his attachment. It is no concern of mine. I shall be dead before what I foresee will take place and it will take place Charles Napier quoted by T.R.E. Holmen : History of the Indian Mutiny, p. 58.*

(13) *"The report flew in all direction with the lightning like rapidity with which news and especially bad news travels in India T.R.E. Holmen : History of Indian Mutiny, p. 60.*

(14) *"It is a Shameful and terrible truth that as far as the fact was concerned the sepoys were perfectly right in their belief." W.H. Lecky.*

संदर्भ ग्रंथ सूची :

(1) *Mehta, Asoka : 1857 - The Great Rebellion.*

(2) *Malleson, Col.G.B. (1912) : The Indian Mutiny of 1857, London.*

(3) *Chand, Dr. Tara (1990) : History of Freedom Movement in India, New Delhi.*

(4) *Chapman, Dr. J.L. (1968) : The Rani of Jhansi : A study in Female Heroism in India, Honolulu.*

(5) *Prasad, Ishwari and Subedar, S.K. (1984) : A History of Modern India, Allahabad.*

(6) *Edwardes, Michael (1962) : Baltes of the Indian Mutiny, London.*

(7) *Nigam, N.K. : Delhi in 1857.*

(8) *Majumdar, R.C. (1963) : The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857, Calcutta.*

(9) *Majumder, R.C. : History of the freedom Movement in India, Vol I.*

(10) *Sen, Surendra Nath (1958) : Eighteen Fifty seven, New Delhi.*

(11) *Khan, Sir Syed Ahmed : The Causes of the Indian Revolt.*

(12) *Holmes, T. Rice (1904) : The Indian Mutiny, London.*

(13) *Holmes, T.R.E. : History of Indian Mutiny.*

(14) *शर्मा, एल.पी. (2001) : आधुनिक भारतीय संस्कृति, प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।*

(15) *शर्मा, एल.पी. (2005) : भारत का इतिहास (1526–1967 A.D.), प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।*

❁ ❁

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।

(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - **(1)** शीर्षक **(2)** एबस्ट्रेक्ट **(3)** की-वर्ड्स **(5)** प्रस्तावना/प्रवेश **(5)** उद्देश्य **(6)** शोध परिकल्पना **(7)** शोध प्रविधि एवं क्षेत्र **(8)** सांख्यिकीय तकनीक **(9)** विवेचन या विश्लेषण **(10)** सुझाव **(11)** निष्कर्ष एवं **(12)** संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

Web references :

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र **हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें। ❁ ❁

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

कोड - SBIN 000 3432

खाते का नाम : रिसर्च लिंक,

खाता नंबर - 63025612815

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : History
Research Link - 161, Vol - XVI (6), August - 2017, Page No. 63-65
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

कुमाऊँ की नायक जाति में वेश्यावृत्ति : एक ऐतिहासिक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में कुमाऊँ की नायक जाति में वेश्यावृत्ति का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न कानूनों के बनने और सुधार सभाओं की स्थापना के बावजूद नायक जाति में यह कुप्रथा पूर्णरुपेण समाप्त नहीं हो सकी। सरकार और सामाजिक सुधारकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो वेश्याओं को अपने यहाँ आमंत्रित करते थे तथा उनके संरक्षकों को धन का लालच देकर इस कुप्रथा को जारी रखते थे। इस प्रथा के जारी रहने के कारण आर्थिक तो थे ही, उससे अधिक सामाजिक कारण भी थे। यद्यपि आज यह प्रथा समाप्त हो गई है, परंतु इस कुप्रथा के अवशेष और कारण आज भी अनेक स्थानों पर मौजूद है।

कमल कुमार

नायक वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र की एक जाति थी, जो नैनीताल जिले में रामगढ़ तथा हल्द्वानी, अल्मोड़ा जिले में पट्टी गिवाड़, नया चौकोट, कटारमल, पिथौरागढ़ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों, काली कुमाऊँ और गढ़वाल में पट्टी मल्ला–तल्ला, कालीफाट, लंगूर तथा उदयपुर में निवास करती थी।[1] इस जाति के लोगों में वेश्यावृत्ति की घृणित प्रथा प्रचलित थी। ये लोग अपनी कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराते थे। शीतकाल में ये लोग अपनी कन्याओं को लेकर मैदानी भागों में पहुँचते थे और ग्रीष्म के आरम्भ में वापस अपने घरों में लौट आते थे। बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में नायक लडकियाँ वेश्यावृत्ति के लिए अनेक महानगरों में पहुँचाई जाने लगी। कुछ लोगों ने इस प्रथा की आड़ में महिला विक्रय को अपना व्यवसाय बना लिया।[2] आज भी अनेक क्षेत्रों से महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए महानगरों में लाया जाता रहा है, जिसे आज "मानव तस्करी" ख्ह्यूमन ट्रेफिकिंग, के रूप में जाना जाता है, हालांकि इसके खिलाफ आज कठोर कानून हैं उसके वाबजूद मानव तस्करी बदस्तूर जारी है।

हालांकि, वेश्यावृत्ति का धंधा यों तो सदियों से अस्तित्व में है और पूरे देश में यह प्रचलित रहा है, जो वर्तमान में भी विद्यमान है तथापि कुमाऊँ में यह एक प्रथा के रूप में नायकों में प्रचलित थी। जो महिलाएँ यह काम नहीं भी करना चाहती थी, उनको मजबूरन यह धंधा करना पड़ता था, क्योंकि यह उनके परिवार का व्यवसाय होता था। छोटी–छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति करने के लिए जबरन तैयार किया जाता था। यह प्रथा उसी तरह की थी, जिस तरह की प्रथा आज भी कुछ जातियों में विद्यमान है, जो लोग देश के अनेक हिस्सों में रहते हैं। दिल्ली के ही कुछ क्षेत्रों में रहने वाला "परेना" समुदाय इस तरह से अपनी स्त्रियों से देह व्यापार कराने वाले समुदाय का प्रमुख उदाहरण है। ये सेक्स वर्कर जब तक कमाने योग्य होती थी, तब तक इनका जीवन अच्छा चलता था, लेकिन देहव्यापार करने की आयु छोटी ही होती है और देह व्यापार करने वाली महिलाएँ अनेक प्रकार के रोगों का शिकार भी हो जाती हैं; यही नायक जाति की स्त्रियों के साथ भी होता था। कुछ सालों के अनन्तर जब ये महिलाएँ कमाने योग्य नहीं रहती थी, तो इनका जीवन अत्यधिक कठिन हो जाता था, अंततः जीवनयापन के लिए आवश्यक भोजन के लिए भी इनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह नायक जाति में विद्यमान वेश्यावृत्ति ने सैकड़ों महिलाओं, लड़कियों तथा अबोध बच्चियों को इस दल–दल में फेंक दिया, जिस कारण ये महिलाएँ केवल उपभोग का साधन मात्र बनकर रह जाती थी।

कालान्तर में सुधार आन्दोलनों से प्रभावित होकर कुछ नायक जाति के लोग अपनी लडकियों का विवाह कराने को तैयार हुए तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। चूँकि, लम्बे समय से इन लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन देहव्यापार ही रहा था। अतः ये लोग अपनी इस आजीविका को एकाएक छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक जाति विशेष से ही इस कुप्रथा के सम्बन्धित होने के कारण स्थानीय लोगों ने प्रारम्भ में इसकी समाप्ति के लिए कोई रूचि नहीं दिखाई, लेकिन जब नायक जाति की अधिक से अधिक महिलाओं को इस धंधे में लिप्त होते देखा, जिसका दुष्प्रभाव अन्य जातियों पर भी पड़ने लगा, तो स्थानीय प्रगतिशील लोगों का ध्यान इस ओर गया।[3]

नायक समाज में व्याप्त इस कुप्रथा के विरूद्ध सन 1911–12 से आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, परन्तु बहुत ही सीमित तथा धीमी गति के कारण इस दिशा में कोई विशेष सुधार न हो सका। ब्रिटिश सरकार की भी इस सुधार आन्दोलन के प्रति कोई विशेष रूचि नहीं थी। नायक कन्या सुधार कार्य में सबसे पहले पहल आर्य

शोधछात्र (इतिहास विभाग), डी.एस.बी.परिसर कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

समाज ने 7 मई, 1911 को की। इसके बाद नारायण स्वामी ने रामगढ़ (कुमाऊँ) में इस प्रथा के विरूद्ध पहल की। लगभग इसी समय हृदय नाथ कुंजरू ने कुमाऊँ का भ्रमण करके इस कुप्रथा की समाप्ति हेतु जनता में जागरूकता के बीज बोये तथा स्थानीय नेताओं बद्रीदत्त पांडे, देवी सिंह, ष्णानन्द शास्त्री आदि समाज सुधारकों ने गाँवों में जाकर लोगों को जाग्रत किया।[4] इस आन्दोलन के प्रचार में "अल्मोड़ा अखबार" तथा "गढ़वाली" अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कुप्रथा के खिलाफ इन दोनों अखबारों ने सशक्त लेख छापे, जिससे इस आन्दोलन का व्यापक प्रचार होने लगा।[5]

11 दिसम्बर 1913 को आर्य प्रतिनिधि सभा बुलन्दशहर में हुई जिसमें कुमाऊँ की नायक कन्याओं के विक्रय के विषय में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में नायक कन्याओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की प्रार्थना की गई। इस प्रस्ताव के उत्तर में तत्कालीन प्रांतीय सरकार ने सूचना भेजी कि "सरकार ने सभी के लिए स्कूल की व्यवस्था की है और 5 नायक कन्याएँ भी स्कूल जा रही हैं। इन कन्याओं को छात्रवृत्ति संयुक्त प्रांत के राजस्व विभाग से दी जाएगी।"[6] सन 1911 में नायकों के सम्बंध में प्रांतीय काउन्सिल में प्रश्न भी पूछे गए और 1913 में कुमाऊँ कमिश्नर कैम्पवेल के सम्मुख निम्न प्रस्ताव रखे गए[7] :

(1) नायक कन्याओं के संरक्षकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए कि वे अपनी कन्याओं को 18 वर्ष की आयु से पहले किसी भी गैर आदमी के साथ न जाने दें।

(2) कानून की अवहेलना करने वाले लोगों पर सरकार की ओर से उचित जुर्माना लगाया जाए और यह अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाए।

इन प्रस्ताओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस आशय का कानून पास हो जाने से नायक कन्याओं के जन्म होते ही उनका नाम "जन्म पंजीयन रजिस्टर" में लिख दिया जाता था। तहसीलदारों, पटवारियों तथा ग्राम प्रधानों (पधानों) को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया।

कुमाऊँ परिषद ने आर्य समाज द्वारा प्रारम्भ किए गए इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया। स्थानीय नेताओं में अधिकाँश जो इस आन्दोलन से जुड़े हुए थे वे लोग आर्य समाज तथा कुमाऊँ परिषद दोनों के सदस्य थे। बद्रीदत्त पांडे, गोविन्द बल्लभ पन्त, कृष्णानन्द शास्त्री तथा देवी सिंह आदि नेताओं ने जन–जन तक पहुँच कर इस आन्दोलन को चलाया और लोगों में जागरूकता फैलाई। कई स्थानों पर 'सुधार संघ' तथा 'शिक्षण संस्थाएं' स्थापित की गयी। सन 1913 में विशंभर दत्त चंदोला और हरिष्ण रतूड़ी इस सम्बंध में बम्बई गए थे। उन्होंने वहाँ के वेश्यालयों में पहाड़ की लड़कियों को ही अधिक संख्या में पाया था। उन लड़कियों को वहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा पहुँचाया गया था, जो देह व्यापार कराने के लिए लड़कियों की खरीद–फरोख्त करते थे। इन लोगों द्वारा लड़कियों के माता–पिता को धन का लालच देकर या बहला कर लड़कियों को खरीदा जाता था।[8]

18 जुलाई 1919 को नायकाना में नायक सुधार सभा हुई, जिसमें बद्री दत्त पांडे, बची राम आर्य आदि लोगों के व्याख्यान हुए। इसी वर्ष हल्द्वानी के राम प्रसाद नायक 'नायक सुधार कार्य' के लिए 5 लाख का कोष एकत्र करने रामगढ़ गए और उन्होंने नायकों को धर्म का वास्ता देकर जतलाया कि वेश्यावृत्ति बहुत नीच व घृणित है।[9] सन 1919 में 'कुमाऊँ परिषद्' ने नैनीताल में नायक सुधार उपसभा की स्थापना की। इस सभा की प्रथम बैठक 29 सितम्बर 1919 नैनीताल में हुई जिसमें निम्न निर्णय लिए गए:

(1) नायक जाति में वेश्यावृत्ति रोकने के लिए सुधार कार्य किए जाएं।

(2) नायक कन्याओं की शिक्षा हेतु पृथक विद्यालय स्थापित किये जाएं और आर्थिक सहायता से उनको छात्रवृत्ति दी जाए।

इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें गोविन्द बल्लभ पन्त के अलावा कई अन्य लोग सम्मिलित थे। इस समिति के प्रयास से नैनीताल में एक नायक कन्या का विधिपूर्वक विवाह किया गया, इसके अलावा नायक जाति में वेश्यावृत्ति समाप्त करने हेतु निरंतर प्रयास जारी रहे तथापि ये प्रयास अपर्याप्त ही साबित हो रहे थे।[10]

इन सुधार कार्यों के फलस्वरूप नायक कन्याओं का विवाह होने लगा। 24 जनवरी 1920 के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में उल्लेख मिलता है कि चार कन्याओं ने अपने ही समुदाय में तथा चार ने उच्च जाति के राजपूत परिवारों में विवाह कर लिया था। तीन कन्याएं वर्नाक्युलर कन्या स्कूल देहरादून में पढ़ रही थी जिनका शिक्षा सम्बन्धी व्यय आर्य समाज उठा रहा था। अब नायक लड़की तथा लड़कों की पढाई के लिए क्रमशः 15 रूपये तथा 10 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति निश्चित की गई, जिन्हें आर्य समाज स्कूल देहरादून और बरेली भेजा जा रहा था।[11] 1923 में बेल (पाली – पछाऊ) की हीरा देवी जो पहले स्वयं एक वेश्या थी, ने मेरठ में एक वकील से विवाह कर लिया और अपने गाँव में एक स्कूल भवन के लिये 2000 रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राय बहादुर मसाल सिंह तथा गोविन्द बल्लभ पन्त ने 1923 के प्रारम्भ में प्रांतीय काउन्सिल में एक प्रस्ताव पेश किया कि 'नायक जाति की कन्याओं में वेश्यावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाया जाए तथा एक कमेटी इस सम्बन्ध में मसौदा तैयार करे।' 2 नवम्बर 1924 को कुमाऊँ कमिश्नर मि. स्टाईफ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और मसाल सिंह, गोविन्द बल्लभ पन्त, मुकुंदीलाल, ब्रजनंदन प्रसाद, कप्तान चामू सिंह तथा जंग बहादुर को इस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया। नायकों में से उदय सिंह, देवीदास, चतुर सिंह, लाखन सिंह, इंद्र सिंह (चिनौनी), प्रेमलता देवी, सुभद्रा देवी आदि लोगों ने इस सम्बंध में सराहनीय सहयोग दिया था।

9 फरवरी 1925 को जानकी बाई ने नायकाना में उमरावसिंह रेंजर के सभापतित्व में नायक सुधार हेतु सभा करवाई। सभा में योगेश्वर दत्त बहुखंडी, पाराम मिश्र, आदित्य राय, बद्रीदत्त पांडे आदि ने भाषण दिए।[12] 14 फरवरी 1925 को पुनः नैनीताल में नायक सुधार सभा का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में पास प्रस्तावों के अनुसार निर्णय लिया गया कि वेश्याओं को 13 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को अपने पास रखने की अनुमति न दी जाए। यदि वे इस कानून की अवहेलना करें तो उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 372–373 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। इसके उपरान्त रामगढ़ में लालसिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई

इसमें बद्रीदत्त पांडे, गोविन्द बल्लभ पन्त, हृदयनाथ कुंजरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लाला भीमसेन तथा नायकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बात से सभी एक मत थे कि नायक जाति में अपनी कन्याओं से वेश्यावृत्ति करवाने की प्रथा बहुत बुरी है और इसे बंद करने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। नायक बिरादरी के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि हम अपनी कन्याओं का विवाह ऐसे परिवारों में करेंगे जहाँ वेश्या बनाये जाने का खतरा न हो।[13]

यद्यपि अब नायक सुधार कार्य तीव्र रूप से हो रहा था, लेकिन 1925 में "प्रयाग सेवा समिति" ने सुधार कार्यों में जो सक्रियता दिखायी उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। इस समय 'भारत सेवक मंडल' के प्रमुख नेता हृदय नाथ कुंजरू ने सम्पूर्ण कुमाऊँ का दौरा किया और नायक समाज सुधार के संदेश जनता तक पहुँचाए। 7 मई 1926 को कुंजरू कुमाऊँ के दौरे पर पुनः आए। रानीखेत, द्वाराहाट होते हुए वे मॉसी गए। उनके साथ इस अभियान में हरगोविंद पन्त और बद्रीदत्त पांडे भी थे। 16 मई 1926 को कुंजरू और बद्रीदत्त पांडे पिथौरागढ़ के नायक गाँवों में गए और वहाँ सभाएँ की।[14]

विभिन्न सभाओं तथा संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप 1928 को प्रांतीय काउंसिल के फरवरी अधिवेशन में नायक समाज सुधार कानून पारित हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की कन्याओं से वेश्यावृत्ति नहीं कराई जाएगी और प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट समस्त कन्याओं का एक नामजद रजिस्टर अपने पास रखेगा। नायक कन्याओं की शिक्षा और उन्हें घरेलू उद्योग संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

1929 में जब महात्मा गाँधी कुमाऊँ आए, तो उन्होंने भी इस प्रथा की निंदा की। उन्होंने कहा, "यहाँ एक कौम है जो धर्म के नाम पर अधर्म करती है, बहिनों तथा बेटियों से व्यभिचार करवाती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अधर्म को छोड़ें। इससे हिन्दुस्तान तथा उन्हें, दोनों को ही हानि है। ....कोई भी महिला इस दुनिया में व्यभिचार के लिए पैदा नहीं हुई है।"[16]

सन 1931 में सरकार द्वारा इस प्रथा के उन्मूलन हेतु दस नियम बनाए गए। सुधार के अनेक प्रयासों के वाबजूद भी यह प्रथा जारी थी दूसरी ओर नायक महिलाएँ इस कुप्रथा को समाप्त करने के प्रयास में निरंतर लगी हुई थी। 14–15 फरवरी 1932 को नायक महिला प्रेमलता देवी के सभापतित्व में रामगढ़ तथा हल्द्वानी में मेरठ, टनकपुर तथा खिलफ्ती रौल के नायकों के संबंध में सभा हुई। 1944 ई. को कुमाऊँ में "अबला रक्षक संघ" की स्थापना की गयी। इस संघ की स्थापना में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पन्त, गंगादत्त पांडे, ठाकुर लाखन सिंह नायक, देवी सिंह कवार्वी तथा राजेन्द्र नाथ मुद्गू ने सक्रिय सहयोग दिया।

इस प्रकार उक्त सभी बातों से यही उजागर होता है कि विभिन्न कानूनों के बनने और सुधार सभाओं की स्थापना के वाबजूद नायक जाति में यह कुप्रथा पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो सकी। सरकार और सामाजिक सुधारकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो वेश्याओं को अपने यहाँ आमंत्रित करते थे तथा उनके संरक्षकों को धन का लालच देकर इस कुप्रथा को जारी रखते थे। इस प्रथा के जारी रहने के आर्थिक कारण तो थे ही उससे अधिक सामाजिक कारण थे। यद्यपि आज यह प्रथा समाप्त हो गयी है, परन्तु इस कुप्रथा के अवशेष और कारण आज भी अनेक स्थानों पर मौजूद हैं।

संदर्भ :

(1) जी.ए.डी. फाइल व बिष्ट, डी.एस. (1997) : उत्तरांचल की एक पिछड़ी जाति में शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, लेख : पुस्तक– उत्तरांचल ग्रामीण समुदाय पिछड़ी जाति एवं जनजाति : अल्मोड़ा बुक डिपो, माल रोड अल्मोड़ा, पृष्ठ 234.

***(2)** डबराल, शिवप्रसाद (1976–78) : उत्तराखंड का इतिहास : भाग–8 : दोगड्डा कोटद्वार।*

***(3)** उत्तरा महिला पत्रिका : जुलाई – दिसम्बर : 1998 : परिक्रमा तल्ला डांडा, तल्लीताल नैनीताल : पृष्ठ 47.*

***(4)** शकुनी, हीरा सिंह : संग्रामियों के सरताज पंडित बद्रीदत्त पांडे, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली, पृष्ठ 101.*

***(5)** उत्तरा महिला पत्रिका, जुलाई–दिसम्बर 1998, पृष्ठ 42.*

***(6)** जी.ए. डी. फाइल : 53/1913.*

***(7)** उत्तरा महिला पत्रिका, जुलाई – दिसंबर 1998, पृष्ठ 7.*

***(8)** गढ़वाली (अखबार), जुलाई–1913, पृष्ठ 5.*

***(9)** शक्ति (अखबार), 22 जुलाई 1919, पृष्ठ 3 एवं 4.*

***(10)** शाह, शंभू प्रसाद (1972) : गोविन्द बल्लभ पन्त एक जीवनी, दिल्ली, पृष्ठ 51.*

***(11)** शक्ति (अखबार), 13 अप्रैल 1920, पृष्ठ 4.*

***(12)** कैड़ा, सावित्री (1989) : कुमाऊँ की महिलाओं का राष्ट्रीय संग्राम तथा स्थानीय जनांदोलनों में योगदान (बीसवीं शताब्दी में) : शोध प्रबंध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, पृष्ठ 51.*

***(13)** शाह, शंभू प्रसाद, वही, पृष्ठ 100.*

***(14)** शक्ति (अखबार), 22 जनवरी 1930, पृष्ठ 3*

***(15)** पांडे, धर्मानंद : पृष्ठ 96.*

***(15)** शक्ति (अखबार), 12 फरवरी 1930, पृष्ठ 4.*

❁ ❁